न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर

पीठासीन अधिकारी —: डिम्पल कुमार, आर0जे0एस0

नियमित फौज0 सीआईएस सं0 —: 758/2021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या —: 281/2021

CNR Number : RJHG080016032021

राजस्थान राज्य

बनाम

01. रविन्द्र कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
02. रमन पुत्र ओमप्रकाश निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
03. सुनील पुत्र हनुमान निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
04. महेन्द्र पुत्र राकेश निवासी गोकुलपुरा पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
05. सुनील कुमार पुत्र फकीरचन्द निवासी 465 हैड दोमोलाई थाना छतरगढ़ जिला बीकानेर। —अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 143 भा0दं0सं0

उपस्थितिः—

01. अभियोजन अधिकारी—राज्य की ओर से।
02. सर्वश्री आरीफ रावण, रोहित सहारण, अधिवक्ता— अभियुक्तगण की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक —: 20.07.2026

01. थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक के अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 143, भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र संख्या 01/2021 अंतर्गत एफआईआर 281/2021 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।
02. इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 23.06.2021 को परिवादी कविराज ने एक प्रार्थना पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना रावतसर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आज सुबह करीब

20/7/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

10:00 बजे उसका नाबालिग पुत्र अर्जुन गांव में बनी गउशाला में सेवा करने के लिए गया था, वापिस आते समय धर्मकांटा के पास अप्रार्थीगण रविन्द्र, रमन तथा 5–6 अन्य व्यक्तियों ने उसके पुत्र को पकड़ लिया व जान से मारने की नियत से उसके पुत्र अर्जुन को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसके पुत्र का हाथ टूट गया व उसके पुत्र के गुप्तांगो पर जान से मारने की नियत से लाठियां मारी। शोर सुनकर आस पास के लोग आ गए, जिन्होंने पांच मुलजिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया तथा दो व्यक्ति मोका देखकर भाग गए जो उसके पुत्र का मोबाईल व एक गले की सोने की मूर्त छीनकर ले गए। उसके पुत्र का उप स्वास्थ्य केन्द्र टोपरिया ले गए, जहां से उसके पुत्र को सीएचसी रावतसर रैफर कर दिया तथा रावतर से हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। आदि तथ्यों की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 143 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

03. अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325, 143 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0ड0–1 अर्जुन, पी0ड0–2 कविराज, पी0ड0–3 देवीलाल, पी0ड0–4 बंशीलाल, पी0ड0–5 डॉ0 अशोक कुमार, पी0ड0–6 दिनेश कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदशी–2, नक्शा मौका प्रदर्शपी–3, हालात मौका प्रदर्शपी–3ए, चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी–4, पूरक आईआर प्रदर्शपी–4ए, मजरूब के ईलाज से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्शपी–5, एक्स–रे प्लेट प्रदर्शपी–6, पुलिस बयान दिनेश कुमार प्रदर्शपी–6 को प्रदर्शित करवाया।

05. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लेखबद्ध करवाई गई साक्ष्य का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना अभिकथित कर साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, परन्तु बावजूद प्राप्त करने अवसर

न्यायिक मजि.
नोहर (हनुमानगढ़)

साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। इस प्रक्रम पर परिवादी एवं अभियुक्तगण के मध्य धारा 341, 323, 325 भा0दं0सं0 में राजीनामा पेश किया गया, जो बाद समाधान तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

06. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में परिवादी/आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य धारा 341, 323, 325 भा0दं0सं0 में राजीनामा हो चुका है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित अहम गवाहान में से किसी भी गवाह ने साक्ष्य के दौरान पांच अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना नहीं बताया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध शेष रहे धारा 143 भा0दं0सं0 के आरोप के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे, जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित करने का निवेदन किया।

07. प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो चुका है, अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। न्यायालय के समक्ष धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में निर्णय शेष रहने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अवधार्य बिन्दु यह है कि :–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.06.2021 को सुबह के करीब 10:00 बजे आबादी मौजा ढंढेला में आहत अर्जुन को मारपीट करने के लिए सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य बने ?

2. यदि उक्त अवधार्य बिन्दु सकारात्मक रूप से साबित होता है तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डित किये जाने के पात्र हैं?

08. उक्त अवधार्य बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह **पी0ड0–1 अर्जुन** (परिवादी) ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2021 के वक्त 9.30 एएम पर वह गउशाला में सेवा करने के लिए गया हुआ था। वह रविन्द्र, रमन, सुनील पुत्र हनुमान, सुनील पुत्र फकीरचंद, महेन्द्र को जानता हुं। उस दिन

20/07/26
न्यायिक मजि...
नोहर (हनुमानगढ़)

गउशाला में उसके पास महेन्द्र व एक अन्य मोटरसाईकिल से आए और उसे कहा की धर्मकांटा के पास दोस्त बुला रहे है, तो वह उनके पीछे–पीछे धर्मकांटा के पास चला गया तो पीछे से रविन्द्र ने उसके लाठी की चोट मगरो में मारी, दूसरी चोट लाठी से सिर में मारने की कोशिश की तो बांया हाथ आगे किया तो उसके बांये हाथ के अग्र भूजा पर लगी जिससे उसका हाथ टूट गया था। उसके आंख पर भी लात घुसों से चोटें मारी थी। सुनील, रमन व दो अन्य ने उसके पुरे शरीर पर लात घुसों से मारी थी। दो अन्य को वह देखकर पहचान सकता हैं। उसने डॉक्टर को दिखाया था व मेडिकल मुआयना करवाया था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने उसे ध्यान नहीं कि यह मुकदमा किसने दर्ज करवाया था। यह कहना गलत है कि मैं मोटरसाईकिल से गिर गया हो और रंजिश वश झूठा मुकदमा करवाया हो।

09. गवाह **पी0ड0–2** कवीराज (परिवादी) ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि करीब 3 साल पहले सुबह दस साढे दस बजे उसके लड़के अर्जुन को गउशाला से दो लड़के यह कहकर ले गए थे कि उसके दोस्त आए हुए है और उसे धर्मकांटा के पास ले गए। 5–6 लड़कों ने उसके बेटे अर्जुन के साथ लाठी मुक्कों से मारपीट की। उसके बेटे का दांया हाथ तोड़ दिया। उसे किसी ने बताया था कि अर्जुन के साथ मारपीट कर रहे है इस पर वह मौका पर गया तो वहां पर चार या पांच लोगो ने उसे पकड़कर बैठा रखा था, जिनको उसने देखा था जिन्हे पुलिस पकड़कर भी लेकर गई थी जिनमें से रमन व रविन्द्र को वह देखकर पहचान सकता है। इस साक्षी ने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1, एफआईआर प्रदर्श पी–2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना की तारीख, माह, सन व वार याद नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने मारपीट करते नहीं देखा।

10. गवाह पी0ड0–3 देवीलाल ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2021 को 10:00 बजे कविराज का लड़का अर्जुन अपने घर से दूसरे घर जा रहा था। आगे पांच छ व्यक्ति हाथ में लाठ डण्डे लिए खड़े थे। उक्त सभी ने अर्जुन को नीचे पटक लिया व लाठी डण्डो से मारपीट करने लगे। वह, महेन्द्र, धर्मपाल धेतरवाल, गोपीराम कस्वां मौका पर गये तो उक्त सभी मारपीट कर भाग गए। उन्होंने अर्जुन के पिता

20/07/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

को फोन कर बुलाया व गाड़ी की व्यवस्था कर होस्पीटल पहुंचाया। मुलजिमान के नाम वह नहीं जानता लेकिन 6 आदमी थे। मुलजिमान को देखकर पहचान सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अर्जुन शराब पीता है। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह कविराज के कहने से बयान देने आया है।

11. गवाह पी0ड0–4 बंशीलाल हैड कांस्टेबल ने न्यायालय के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2021 को थानाधिकारी हरबंशलाल द्वारा मुकदमा नम्बर 281/21 की तफ्तीश उसके सुपुर्द की गई। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, हालात मौका प्रदर्श पी–3ए, मजरूब अर्जुन का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, पूरक आईआर प्रदर्श पी–4ए, ईलाज से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–6 है। गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए। प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी–1 एसएचओ के समक्ष पेश हुआ, जिस पर एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की गई। बाद अनुसंधान मुलजिम रविन्द्र, रमन, सुनील, महेन्द्र, सुनील पुत्र फकीरचंद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ के सुपुर्द की, जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 में महेन्द्र व सुनील का नाम अंकित नहीं है। उसे पता नहीं कि अर्जुन शराब पीकर मोटरसाईकल से गिर गया हो, जिसके कारण उसके चोट आई हो।

12. गवाह पी0ड0–5 डॉ0 अशोक कुमार आहत अर्जुन के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार करने बाबत साक्ष्य है, परन्तु पक्षकारान के मध्य धारा 323, 325 भा0दं0सं0 राजीनामा हो चुका है, इस लिए इस गवाह की साक्ष्य के विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गवाह पी0ड0–6 दिनेश कुमार ने पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अर्जुन के साथ किसी के द्वारा मारपीट करते नहीं देखा था। उसे तो अर्जुन के पिता कविराज ने फोन किया था इसलिए वह उसके साथ गाड़ी लेकर थाने गया था। अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने इस तथ्य से स्पष्टतः इनकारी की है कि अर्जुन के साथ पांच छः लड़के जिसमें रविन्द्र, रमन, सुनील, महेन्द्र, सुनील पुत्र

फकीरचंद ने लाठी डण्डे लात घुसों से मारपीट की हो, व उसने इन्हे छुड़वाया हो। स्वतः कहा कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई।

3. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर विधि विरूद्ध समुह के सदस्य रहते हुए आहत अजुर्न के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन करें तो आहत पी0ड0–1 अर्जुन ने न्यायालय के बयानों में रविन्द्र, सुनील, रमन व दो अन्य द्वारा अपने साथ मारपीट करने का कथन किया है, अन्य किसी अभियुक्त का नाम अपनी साक्ष्य के दौरान नहीं बताया है। गवाह पी0ड0–2 कविराज परिवादी ने अपने बेटे के साथ 5–6 लोगों द्वारा मारपीट करने का कथन किया है, परन्तु यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी नहीं है। गवाह पी0ड0–3 देवीलाल ने भी साक्ष्य के दौरान 5–6 व्यक्तियों द्वारा अर्जुन के साथ मारपीट करने का कथन किया है, परन्तु किसी अभियुक्त के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि हस्तगत प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा अर्जुन के साथ मारपीट की गई हो। गवाह पी0ड0–4 बंशीलाल ने अनुसंधान सम्बन्धी औपचारिक साक्ष्य दी है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में महेन्द्र व सुनील का नाम अंकित नहीं है। गवाह पी0ड0–6 दिनेश कुमार ने पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार प्रकरण के परिवादी एवं आहत ने अपनी साक्ष्य के दौरान हस्तगत प्रकरण के पांचों अभियुक्तगण द्वारा घटना में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप के सम्बन्ध में लैसमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से जरिए राजीनामा एवं धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

20/07/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

– आदेश –

अतः अभियुक्तगण **रविन्द्र** कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़, **रमन** पुत्र ओमप्रकाश निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़, **सुनील** पुत्र हनुमान निवासी टोपरिया पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़, **महेन्द्र** पुत्र राकेश निवासी गोकुलपुरा पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़ एवं **सुनील** कुमार पुत्र फकीरचन्द निवासी 465 हैड दोमोलाई थाना छतरगढ़ जिला बीकानेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता से जरिये राजीनामा व अपराध अंतर्गत धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डिम्पल कुमार) 20/07/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोहर

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

6. निर्णय एवम् आदेश आज दिनांक 20–07–2026 को उसके द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डिम्पल कुमार) 20/07/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर

न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर जिला हनुमानगढ़